

शांति भंग करने के 12 आरोपी गिरफ्तार :-

धर्मेन्द्र सिंह हैड कानि० थाना बाँली ने श्री सूरजान पुत्र प्रहलाद जाति गुर्जर निवासी डिडवाडी थाना बाँली को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार रामवीर सिंह उ०नि० थानाधिकारी थाना चौथ का बरवाडा ने श्री भगवान सिंह पुत्र धनसिंह जाति गुर्जर उम्र 28 साल निवासी महारावण्ड थाना बाटोदा , रोहित पुत्र महावीर जाति रातपूत उम्र 18 साल निवासी गुनाठू थाना नौसल जिला सीकर , राजेन्द्र पुत्र श्रवण जाति राठोर उम्र 19 साल निवासी माण्डल थाना पादूकला जिला नागोर , वकील पुत्र राजमल गुर्जर उम्र 18 साल निवासी बाजना , सचिन पुत्र महोन लाल जाटव उम्र 20 साल निवासी हिन्दोन सिटी , शहजाद पुत्र वाहिद जाति मुस्लमान उम्र 27 साल निवासी हिन्दोन , जयविन्दर पुत्र विजेन्द्र गुर्जर उम्र 25साल निवासी बडी बाखड हिन्दोन , पृथ्वी पुत्र गोपाल जाति जाट उम्र 19 साल निवासी हिन्दोन सिटी , अमजद पुत्र इस्लाम जाति मुस्लमान उम्र 19 साल निवासी बडी बाखड , दीपक पुत्र सुमेर सिंह जाति गुर्जर उम्र 18 साल निवासी हिन्दोन सिटी थाना हिन्दोन सिटी जिला करौली को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

इसी प्रकार फजरुद्दीन हैड कानि० थाना मानटाउन ने श्री नरेन्द्र उर्फ काना पुत्र जगनलाल बैरवा उम्र 28 साल निवासी भडेरडा थाना मानटाउन स०मा० को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

शराब पीकर वाहन चलाते 02 आरोपी गिरफ्तार:-

हरिभान सिंह उ०नि० थाना कोतवाली ने श्री राजेन्द्र पुत्र दीनदयाल बैश्य उम्र 36 साल निवासी पुरानी अनाज मण्डी के पास शहर स०मा० को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

इसी प्रकार बृजेन्द्र सिंह उ०नि० थानाधिकारी थाना मलारना डूंगर ने गिराज पुत्र लालराम जाति बैरवा उम्र 32 साल निवासी थनेरा थाना बोली को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

सट्टे की खाईवाली करने का 01 आरोपी गिरफ्तार:-

गोपीराम स०उ०नि० थाना गंगापुरसिटी ने रफीक उर्फ टोला पुत्र नूरी जाति मुसलमान उम्र 48 साल निवासी मदीना मस्जिद गंगापुर सिटी थाना गंगापुर सिटी को माल गोदाम रोड गंगापुरसिटी पर सट्टे की खाईवाली करते हुये पाये जाने पर जुआ अधिनियम के आरोप में मय सट्टा उपकरण एवं 5100 रूपये नकद के साथ गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर 750/17 दर्ज किया गया।

धूम्रमान उत्पाद बेचने के 02 आरोपी गिरफ्तार:-

मुकेश कुमार उ०नि० (प्रो०) थानाधिकारी थाना रवांजना डूंगर ने जगदीश पुत्र रामेश्वर प्रसाद जाति अग्रवाल उम्र 30 साल निवासी फलोदा क्वारो थाना रवाजना डूंगर व मुकेश कुमार पुत्र बाबूलाल जाति अग्रवाल (महाजन) उम्र 42 साल नि० फलोदा क्वारो थाना रवाजना डूंगर को सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान उत्पाद बेचने के आरोप में मय धूम्रपान उत्पाद के गिरफ्तार कर मुकदमा नम्बर क्रमशः 202/17 व 203/17 दर्ज किया गया।